



# टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

{ भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम }

## THDC INDIA LIMITED

( A Joint venture of Govt. of India & Govt. of U.P. )

Bhagirathi Bhawan, By- pass Road, Pragatipuram  
Rishikesh-249201

संख्या: THDC/RKSH/Fin/2022-23/715

दिनांक: 01.02.2023

### परिपत्र

**विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के अनुपालन में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत ईपीएफ (EPF) से ईपीएस (EPS) में स्थानांतरित की जाने वाली अथवा ईपीएस में जमा की जाने वाली अंशदान राशि की गणना के संबंध में।**

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय तथा टीएचडीसीआईएल मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी दिनांक 16.01.2023 के परिपत्र के अनुपालन में, पात्र वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ईपीएस-95 के अंतर्गत बढ़ी हुई पेंशन (Enhanced Pension) का लाभ प्राप्त करने हेतु वास्तविक वेतन पर 8.33% की दर से अंशदान, साथ ही शेष राशि पर ब्याज का योगदान करना होगा।

ईपीएफओ द्वारा स्पष्टीकरण/प्रक्रियाएँ/परिपत्र/दिशानिर्देश आदि जारी किए जाने तक, व्यक्तिगत कर्मचारियों के ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर एक अस्थायी गणना तैयार की गई है। यह गणना ईपीएफ की प्रचलित ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए माहवार साधारण ब्याज के आधार पर की गई है।

वास्तविक वेतन के आधार पर शेष राशि जमा कराने के लिए उपलब्ध सीमित समय को देखते हुए, व्यक्तिगत कर्मचारियों के ऐतिहासिक वेतन आंकड़े एकत्रित/व्युत्पन्न किए गए हैं। यह आंकड़े पहले से जमा ईपीएस राशि एवं उस पर देय ईपीएफ ब्याज के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक पात्र कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी का विवरण एफएमएस (FMS) पोर्टल पर उनके व्यक्तिगत खाते में अपलोड कर दिया गया है।

बढ़ी हुई पेंशन लाभ हेतु आवश्यक अंशदान की जमा राशि ईपीएफओ द्वारा नियमों के अनुसार स्वीकार किए जाने के अधीन होगी। यदि ईपीएफओ द्वारा किसी अधिक अंशदान की आवश्यकता निर्धारित की जाती है, तो उक्त राशि टीएचडीसीआईएल ईपीएफ ट्रस्ट के खाते से समायोजित की जाएगी अथवा कर्मचारियों द्वारा जमा कराई जाएगी।

कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने आंकड़ों की जांच एवं सत्यापन करें तथा यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो तो संबंधित दस्तावेजी प्रमाण सहित 10 फरवरी 2023 तक श्री कीर्ति अरोड़ा, उप प्रबंधक (वित्त) को उपलब्ध कराएं, ताकि आवश्यक संशोधन किया जा सके।

#### अस्वीकरण (Disclaimer)

वास्तविक वेतन पर ईपीएस की शेष राशि की यह गणना केवल एक अनुमानित प्रयास है। इससे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड अथवा उसके किसी पेंशन/भविष्य निधि (PF) ट्रस्ट पर उच्च पेंशन का दावा प्राप्त करने का कोई अधिकार अथवा भुगतान करने का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता।

(डॉ. एन. के. भट्टाचार्य)

एजीएम (वित्त) / सचिव

ईपीएफ / पेंशन ट्रस्ट

वितरण (ई-ऑफिस के माध्यम से मानक सूची अनुसार)

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सभी कर्मचारी / पूर्व कर्मचारी।
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD)/ निदेशक (वित्त) के तकनीकी सचिव।
3. सभी विभागाध्यक्ष / एचओडी / स्थान प्रभारी - अपने अधीन सभी कर्मचारियों को सूचित करने हेतु।
4. श्री कीर्ति अरोड़ा, उप प्रबंधक (वित्त), समिति सदस्य - कर्मचारियों के वेतन आंकड़ों की जांच एवं अंतिम रूप देने हेतु।
5. महाप्रबंधक (आईटी) - पूर्व कर्मचारियों के सुपरएनुएशन पोर्टल पर यह परिपत्र अपलोड करने तथा व्यक्तिगत पूर्व कर्मचारियों के लिए एफएमएस पर आंकड़े अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु।